न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 97/2021 बउनवानी हरीश भारद्वाज बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/289

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 6.5.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्रांक 1595 दिनांक 21.9.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

पंचायत समिति मलारना डूंगर सवाईमाधोपुर के डायरेक्टर पर हेतु चुनाव अगस्त–सितम्बर,2021 की निम्न जानकारी देवे:–

1. मलारना डूंगर सवाईमाधोपुर के वार्ड संख्या 6 से डायरेक्टर पद हेतु बी.जे.पी. एवं कांग्रेस पाटी की ओर से खडे उम्मीदवार का नाम मय सत्यप्रति दिलवायी जावे।
2. मलारना डूंगर सवाईमाधोपुर के वार्ड नम्बर 6 से डायरेक्टर पद हेतु बी.जे.पी. एवं कांग्रेस पाटी की ओर से खडे उम्मीदवार का आवेदन पत्र मय समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु अपनी अपील में अंकित किया है कि पत्रांक 2655 दिनांक 30.9.2021 के साथ बिन्दु संख्या 1 की सूचना संलग्न कर भिजवाया जाना बताया है किन्तु उक्त पत्र के साथ कोई सूचना संलग्न नही की गयी है इसी प्रकार बिन्दु संख्या 2 की सूचना में कांग्रेस उम्मीदवार के दस्तावेज की प्रति नही भिजवायी गयी है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:/सू.का.अ/2021/2752 दिनांक 15.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 6.5.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 2655 दिनांक 30.9.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 6.5.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना जरिये पत्रांक 2655 दिनांक 30.9.2021 से अपीलान्ट को भिजवाया जाना बताया गया है भिजवायी गयी सूचना पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि अपीलान्ट को भिजवायी गयी सूचना में बिन्दु संख्या 1 की सूचना संलग्न नही की गयी है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना में कांग्रेस उम्मीदवार के दस्तावेज की [illegible] प्रकार आप द्वारा अपीलान्ट को सही एवं सटीक सूचना उपलब्ध नही करवायी है। जिस[illegible]में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के [illegible] दिनांक 22.11.2021 से आपको लिखा गया है। उक्त विवेचन[illegible]स्वीकार कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूं[illegible] जाता है कि अपीलान्ट[illegible]न्दु संख्या 1 व 2 की पूर्ण,सही एवं सटीक सूचना 7 दिवस मे नि:[illegible] उपलब्ध करवायी जा[illegible]ली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:56:00 IST
Reason: SelfAttested